3/यो0स0क0-16/2023 26

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2024-25)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर,(भा०प्र०से०),
संयुक्त सचिव,

सेवामें,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -21.03.2025

विषय:- **वितीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के विभिन्न घटकों सहित कुल रूपये हेतु राज्य योजना मद में रूपये 102.20 लाख (एक करोड़ दो लाख बीस हजाररू०)मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने, जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना संचालित है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न घटको के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रूपये 12000.00 लाख (एक सौ बीस करोड़ रू०) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 45 दिनांक 11.06.2024 को प्रदान की गई है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में तृतीय अनुपूरक से प्राप्त रूपये 102.20 लाख (एक करोड़ दो लाख बीस हजार रू०) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रू.लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना - सामान्य घटक	(51-2235021030111)	0111.31.06	10000.00	80.20
	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना - विशेष घटक	(51-2235027890109)	0109.31.06	2000.00	22.00
कुल योग - (एक करोड़ दो लाख बीस हजार रू०) मात्र					102.20

2 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हेतु स्वीकृत राशि में से 2 (दो) प्रतिशत की राशि प्रशासनिक मद में व्यय किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वितीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के पत्रांक 214/वि० दिनांक 06.03.2024, 3576/वि० दिनांक 01.04.2024, 206/वि० दिनांक 18.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स0क0-16/2023 के टिप्पणी पृष्ट संख्या...09.../टि0 पर दिनांक..19.03.25... को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

8. यह चालू योजना है। अत: महालेखाकार,बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
21/3/25
संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स0क0-16/2023 26 पटना, दिनांक- 21-03.2025

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार,पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजटशाखा) / विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा) / निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/3/25
संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स0क0-16/2023 26 पटना, दिनांक- 21.03.2025

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार,सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/3/25
संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स0क0-16/2023 26 पटना, दिनांक- 21.03.2025

प्रतिलिपि-विभागीय आई०टी० मैनेजर,को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

21/3/25
संयुक्त सचिव,